

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 376 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2020

रायपुर, दिनांक 25 / 05 / 2020

रायपुर जिला अंतर्गत रायपुर नगर निगम के थाना देवेन्द्र नगर क्षेत्र के भाटापारा फाफाडीह काली मंदीर के पास अंतर्गत 01 नये कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार क्षेत्रों—

1. पूर्व में — नई दुनिया प्रेस के सामने
2. पश्चिम में — भवानी डाइग्नोस्टिक के सामने एवं फाफाडीह एक्सप्रेस-वे से भाटापारा के लिए एंटी पॉइंट
3. उत्तर में — एक्सप्रेस वे,
4. दक्षिण में — सुप्रिता नर्सिंग होम के पास,
को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।

B. कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी।

1. उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश पर्यन्त तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
2. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुँच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।
3. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
4. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
5. कन्टेनमेंट जोन में शासन के मानकों के अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस रायपुर द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
6. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सैम्पल की जाँच आदि आवश्यक व्यवस्थाएँ की जावेगी।

B- कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौपा जाता है —

1. केवल 01 प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था हेतु बेरिकेंटिंग—
संबंधित कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर
2. कन्टेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था—
आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर
3. घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन —
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर
4. उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु श्री राजीव कुमार पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर रायपुर प्रभारी अधिकारी रहेंगे।

(कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ0ग0)

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सर्व संबंधित जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Haudaru,
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर (छ0ग0)